राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः— 110, 111, 112, 113 व 114/2014..........जिला—जयपुर।

उनवान— मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, 30, श्री रामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर।

बनाम्

(1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत राज., जयपुर (2) अपीलीय प्राधिकारी—द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2014	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री एम.एल.पाटौदी व राजस्व की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उक्त पांच विविध प्रार्थना पत्र, अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के अपील संख्या 1516, 1517, 1518, 1519 व 1520/2014/जयपुर मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, 30, श्री रामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत राज., जयपुर निर्णय दिनांक 11.09.2014 के संबंध में प्रस्तुत कर, वसूली पर रोक आदेश में सशक्त अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली "पर्याप्त जमानत" (adequate security) के लिये प्रदान की गयी समयावधि (15 दिवस) को दिनांक 21.10.2014 तक बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा क्रमशः निर्धारण वर्ष 2003—04, 2004—05, 2005—06, 2006—07 व 2007—08 के लिये पारित संयुक्तादेश दिनांक 11.09.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों के संबंध में, प्रस्तुत की जाने वाली "पर्याप्त जमानत" (adequate security) के बिन्दु के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः एस.बी.सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 9935, 9933, 9934, 9931 व 9936/2014 प्रस्तुत की गयी । कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिट पिटशन का निष्पादन जरिये पृथक्—पृथक् निर्णय 01.10.2014 से कर, अपीलार्थी के उक्त पांचों प्रकरणों में 50 प्रतिशत बैंक गारण्टी व 50 प्रतिशत बॉण्ड प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष दिनांक 10.10.2014 को 50 प्रतिशत बैंक गारण्टी व 50 प्रतिशत बॉण्ड प्रस्तुत कर दिये गये हैं। लगातार..........2	

30.10.2014

अतः प्रस्तुत पांचों विविध प्रार्थना "सारहीन" होने के कारण अपीलार्थी उक्त प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्रों को विदड्रा करना चाहते हैं। अतः उक्त के संबंध में निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा इस प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी ।

उभयपक्षीय बहस व कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2014 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.10.2014 की पालना में अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष **दिनांक 10.10.2014 को 50 प्रतिशत बैंक गारण्टी व 50 प्रतिशत बॉण्ड प्रस्तुत कर दिये गये हैं।** अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त पांचों विविध प्रार्थना पत्र जिनमें सशक्त अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली **"पर्याप्त जमानत" (adequate security)** के प्रस्तुति हेतु समयावधि बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है, को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक **01.10.2014** के पश्चात् प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र "सारहीन" होने के कारण खारिज किये जाते हैं। हस्तगत पांचों *प्रकरण पूर्व अनुसार ही सुनवायी हेतु दिनांक खण्डपीठ के समक्ष* दिनांक **17.11.2014** को पेश हों।

निर्णय सुनाया गया ।

30.10.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष